न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर R.A.S.)

प्रकरण सं. 186/2016
जी.सी.एस.एम. नं. 2016/00307
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 16.04.2021

1. धर्मसिंह पुत्र घसीड़ा मृतक जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई जिला भरतपुर।
1.1 दयावली पत्नि धर्मसिंह जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई।
1.2 शिवदेई पुत्रीयान धर्मसिंह जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई।
1.3 जाबोदेवी पुत्रीयान धर्मसिंह जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई।
1.4 तेनपाल पिसरान धर्मसिंह जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई।
1.5 गुमान पिसरान धर्मसिह जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई।
1.6 भॅवरसिंह धर्मसिंह जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई।
2. घनश्याम पुत्र रोशन जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई।
3. द्रोपदी बेबा रोशन जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई।

— प्रार्थीगण

<u>बनाम</u>

Web Copy - Not Official

2 फूलवती बेबा कल्ला जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई।
3 भूपाल पिसरान कल्लासिंह जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई।
4 निरंजन पिसरान कल्लासिंह जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई।
5 चन्द्रकला उर्फ चन्दा बेबा उदयराम जाति जाट निवासी बीलौठ तहसील नदबई।
6 राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
7 सब रजिस्टार महोदय लखनपुर

—अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता श्री जगवीरसिंह (प्रार्थीगण की और से)

श्री अशोक कुमार बिहारिया (अप्रार्थीगण की और से)

निर्णय

अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

1. यह कि उपरोक्त उनवीन वाद पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी पूरी उम्मीद है।
2. यह कि आराजी खसरा 257 रकवा 0.35, 258 रकवा 0.31 किता 2 रकवा 0.66 वाके ग्राम बीलौठ तहसील नदबई में स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:31:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

3. यह कि विवादित आराजी प्रार्थीगण की पैत्रिक सम्पति की आराजी है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का सजरा निम्नप्रकार से पेश है।

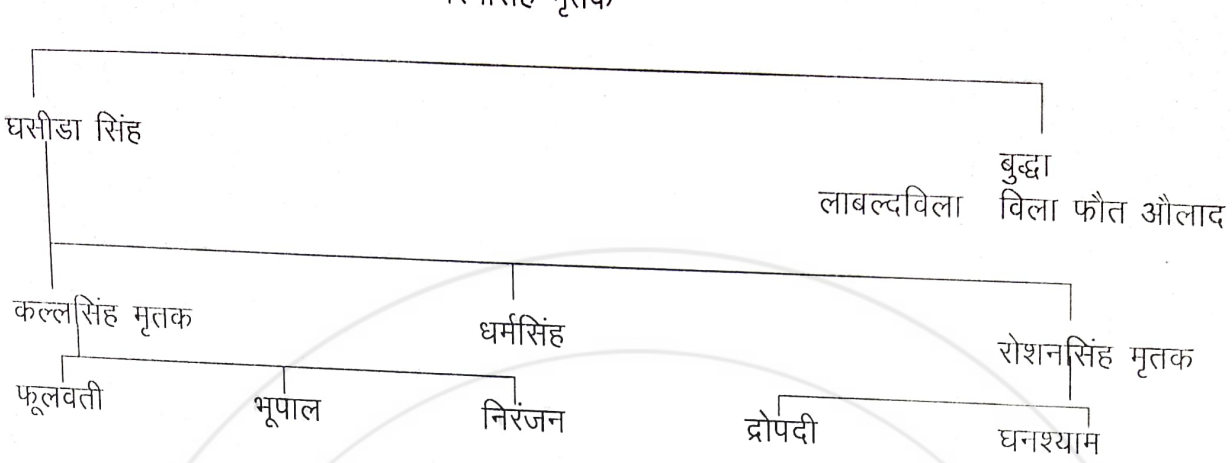

चरनसिंह मृतक

- घसीड़ा सिंह
  - कल्लसिंह मृतक
    - फूलवती
    - भूपाल
    - निरंजन
  - धर्मसिंह
  - रोशनसिंह मृतक
    - द्रोपदी
    - धनश्याम
- बुद्धा लाबल्दविला विला फौत औलाद

4. यह कि आराजी खसरा नं. 257 रकवा 0.35 , 258 रकवा 031 हाल खसरा नम्बरान जो कि साबिक खसरा नं. 199 में खसरा नं. से बना है। उक्त खसरा नं. 199 जोकि साबिक खसरा नं. 184 व 190 से बने है। विवादित आराजी प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 की सम्पत्ति की पैत्रिक आराजी है।जिस पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है। लेकिन अप्रार्थी सं. 1 जोकि कर्ता खानदान होने के कारण विवादित आराजी पर बाहिद इन्द्राजात खातेदारी हो गये है। उक्त आराजी सन् 2009 में प्रार्थी के मृतक पिता बाबा ससुर घसीड़ा के नाम रिकार्ड दर्ज है उक्त खसरा नम्बरान 184 [illegible] से अप्रार्थीगण के पिता कल्ला सिंह के पिता दर्ज रिकार्ड है जबकि उक्त आराजी [illegible] प्रार्थीगण का हक निहित है। जिससे प्रार्थीगण को सक्त हक तल्फी है। ऐसी स्थिति [illegible] विवादित आराजी की आराजी का प्रार्थी सं. 1 को 1/3 हिस्से का अप्रार्थीगण [illegible] को वाहिस्सा बराबर 1/3 हिस्से का व प्रार्थी सं. 2 व 3 को उनके द्वारा बेचान हिस्से [illegible] हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा जो कि प्रतिवादी सं. 4 के हक में कराया है सहित 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा अप्रार्थी के नाम हो रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जावे।

5. यह कि अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 26.09.2016 को प्रार्थीगण को व मुकाम बिलौठ तह0 नदबई पर एलानिया धमकी दी है कि व गलत इन्द्राजात के आधार पर विवादित आराजी को रहन वय मुन्तकिल कर देगे व प्रार्थीगण को प्रार्थीगण के हिस्से से बेदखल कर देगे जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। यदि अप्रार्थीगण उपरोक्त दी गई धमकी में कायमाब हो गयेतो प्रार्थीगण को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद न हो सकेगी अतः प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

6. यह कि प्रइमाफेसी केस सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के हक में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:31:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी में मदाखलत व मजाहमत न करें रहन व मुन्तकिल न करे व रहन व मौके की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत श्री जगवीर सिंह एड्वोकेट द्वारा प्रस्तुत किया गया । प्रार्थीगण का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थीगण स. 1 लगायत 3 की आर से श्री नन्नूराम शर्मा उपस्थित हुये उसके बाद इनकी ओर से श्री अशोक कुमार बिहारिया उपस्थित हुय अप्रार्थी सं. 4 ल. 6 के खिलाफ तामील बाबजूद अनुपस्थित होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई उसके बाद अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किये जाने हेतु। बार बार अवसर दिये गये उसके बाबजूद भी दिनांक 19.07.19 को 300 रूपये की कोस्ट पर अवसर दिया गया बाबजूद भी इनकी ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया तथा अप्रार्थी सं. 1 ल. 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाकर पत्रावली बहस प्रार्थना 212 आर.टी.ए. नियत की गई।

सायल/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संबत 2071 से 2074 वाके ग्राम बिलौठ नकल फोटो प्रति मिलान क्षेत्र. सम्वत 2060 व 2028 नकल जमाबंदी सम्बत 2013 वाके ग्राम विलौठ नकल केबट खतौनी वाके ग्राम विलौठ तहसील नदबई पेश की गई।

गैरसायल/अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाब के समर्थना में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में व मौखिक साक्ष्य के रूप मे पेश नही किये गयें।

उभय पक्षकरान के विद्वान बकीलो की बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सुनी। प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रार्थी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88,89, 188 आर.टी.ए. के तहस पेश किया गया है जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तार्गत धारा 212 आर. टी.ए. का पेश किया गया है जिसमें विवादित आराजी खसरा 257 रकवा 0.35, 258 रकवा 0. 31 किता 2 रकवा 0.66 वाके ग्राम बीलौठ तहसील नदबई में स्थित है। उक्त आराजी खसरा नं. 257 रकवा 0.35 , 258 रकवा 031 हाल खसरा नम्बरान जो कि साबिक खसरा नं. 199 में खसरा नं. से बना है। उक्त खसरा नं. 199 जोकि साबिक खसरा नं. 184 व 190 से बने है। उक्त आराजी हमारे पूर्वजो के नाम थी। जमा0 संवत 2013 से 2016 में खाता स. 187 उक्त आराजी ख0न0 190 जो कि उस बाबा के भाई बुध[illegible] औरत फौत हुआ था। जिसमें विरासन चरनसिंह को प्राप्त हुई थी। [illegible] के गैर सायल पिता कल्ला वल्द घसीड़ा के नाम दर्ज थी। जमा0 संवत 2009 में खाता 169 में खुद काश्त घसीड़ा ख.न. 184 में नाम दर्ज थी। जो कि जा 2013 में कल्लासिंह के नाम आ गया जो गैर सायल के पिता के नाम सहवन से आ गयी। अप्रार्थी सं. 1 जोकि कर्ता खानदान होने के कारण विवादित आराजी पर बाहिद इन्द्राजात खातेदारी हो गये है। उक्त आराजी सन् 2009 में प्रार्थी के मृतक

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:31:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

पिता बाबा ससुर घसीडा के नाम रिकार्ड दर्ज है उक्त खसरा नम्बरान 184 सहवन से अप्रार्थीगण के पिता कल्ला सिंह के पिता दर्ज रिकार्ड है जबकि उक्त आराजी में प्रार्थीगण का हक निहित है। जिससे प्रार्थीगण को सक्त हक तल्फी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण विवादित आराजी की आराजी का प्रार्थी सं. 1 को 1/3 हिस्से का अप्रार्थीगण सं. 1 ल. 3 को वाहिस्सा बराबर 1/3 हिस्से का व प्रार्थी सं. 2 व 3 को उनके द्वारा बेचान हिस्से 9/52 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा जो कि प्रतिवादी सं. 4 के हक में कराया है। सहित 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा अप्रार्थी के नाम हो रहे इन्द्राजात को कलमजन किया जावे। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 26.09.2016 को प्रार्थीगण को व मुकाम बिलौठ तह0 नदबई पर एलानिया धमकी दी है कि व गलत इन्द्राजात के आधार पर विवादित आराजी को रहन बय मुन्तकिल कर देगे व प्रार्थीगण को प्रार्थीगण के हिस्से से बेदखल कर देगे जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। अतः सायलान गैर सायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी है कि वह मूलवाद के निस्तारण तक आराजी को रहन बय मुन्तकिल नही करे रिकार्ड व मौके व यथा स्थिति बनाए रखें।

गैरसायल वकील का कहना है कि प्रार्थीगण / वादीगण द्वारा अपने दावा व प्रार्थना पत्र में जो सजरा पेश किया गया है। जिसमें विवादित आराजीयात चरणसिंह से आई हुई बताई गई है तथा चरणसिंह से घसीड़ासिंह व बुद्धा को आई हुई आराजीयात बताई गई है। बुद्धासिंह की जो आराजीयात बताई गई है। जो हमें बा हिस्सा बराबर मिल चुकी है। जिसपर बुद्धा की आराजीयात पर हमें कोई आपत्ति नही है। अब यह कह रहे है कि उक्त आराजी घसीडा से मिलनी चाहिए थी। प्रार्थीगण द्वारा जमाबंदी सम्बत 2009 खैवट पेश की है जो घसीडा की खैवट पेश की गई है। राज0 टेनेन्सी एक्ट सम्वत 2012 से लागू हुआ था। और संवत 2013 की जामाबन्दी में कल्लार खुद काश्त दर्ज है। उक्त जमीन हमारे नाम आ गई तो यह आराजी स्वःअर्जित आराजी हुई। कल्लासिंह के मरने के बाद इनके वारिसानो के नाम उक्त आराजीयात आ गई परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कही भी किसी प्रकार का कोई भी दस्तावेजात या मृतक के वारिसान के म्यूटेशन की नकल पेश नही की गई है। न ही कोई विरासतन की नकल पेश की गई। ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया गया जो अकेले कल्ला सिंह के नाम उक्त विवादित आराजीयात आ गई हो केवल सम्वत 2009 की खैवट पेश की गई है। जो टेनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व की नकल है। जिसे पढ़ा नही जा सकता हैं जिसका कोई महत्व नही है। टेनन्सी एक्ट लागू होने से मय रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार हूॅं। तथा इन्होने यह भी कहा है कि हम मौखे पर बा हिस्सा बराबर काबिज है। इनके द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज मौखे के काश्त सम्बन्धित खसरा गिराधवरी वगै0 पेश की हो उससे साबित होता हो कि उक्त आराजीयात पर ये काबिज हैं। इसप्रकार सम्वत 2013 से मैं खातेदार ... के रूप में काबिज हूॅं । इसलिए एक खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि ... अधिकारो को कुठारघात होगा जो एक अपूर्णनीय क्षति होगी इस ... सुविधा का सतुंलन मेरे पक्ष में है। अतः जारीशुदा टी.आई. खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:31:36 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

उभय पक्षकरान के विद्वान वकीलो की बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सुनी। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

1. प्राईमाफेसी केस– प्रार्थीगण / वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए. के तहत् पेश किया गया है जिसके साथ प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. का पेश किया गया है। जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तार्गत धारा 212 आर.टी.ए. का पेश किया गया है । आराजी खसरा 257 रकबा 0.35, 258 रकबा 0.31 किता 2 रकबा 0.66 वाके ग्राम बीलौठ तहसील नदबई में स्थित है। आराजी खसरा नं. 257 रकबा 0.35 , 258 रकबा 031 हाल खसरा नम्बरान जो कि साबिक खसरा नं. 199 में खसरा नं. से बना है। उक्त खसरा नं. 199 जोकि साबिक खसरा नं. 184 व 190 से बने है। विवादित आराजी प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 की सम्पत्ति की पैत्रिक आराजीयात चरनसिंह से आना बतायी गयी है। जिस पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण जन्म से ही हक व हिस्सा होना बताया गया है। तथा पैत्रिक आराजीयात होने साथ वा हिस्सा बराबर खातेदार की घोषणा चाही गई है। अतः उपरोक्त विवाद बिन्दु का निस्तारण दावा में तनकीयात कायम की जाकर पक्षकारान के साक्ष्य लेकर सुनवायी के बाद किया जावेगा। तब तक विवादित आराजीयात वाद की बहुल्यता को रोकने के लिए एवं दावा की विषयवस्तु को मैरिट तक सुरक्षित रखने के लिए रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना उचित है।

2. सुविधा का संतुलन :– प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के हक में है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में है।

3. अपूर्ण क्षति :– चूंकि प्राथीगर्ण द्वारा घोषणात्मक दावा पेश किया है। जिसमें अपना हक चाहा है। अगर उक्त विवादित आराजीयात का फिर से बेचान तथा आराजी खुर्द –बुर्द होती है तो दावे के निस्तारण में अनावश्यक पेचीदगी होगी, तथा बेजा मुकदमे बाजी बढेगी, तो अपूर्ण क्षति भी प्रार्थी को होगी।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा 257 रकबा 0.35, 258 रकबा 0.31 किता 2 रकबा 0.66 वाके ग्राम बीलौठ तहसील नदबई में स्थित है। ,पर जारीशुदा स्थगन आदेश दिनांक 28.11.2016 को इस आशय के साथ कन्फर्म किया जाकर अप्रार्थीगण विवादित आराजीयात की दावे के निस्तारण तक रिकार्ड व मौके की यथास्थितिबनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 16.04.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से का[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.10.02 16:31:36 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर R.A.S.)
सहायक कलेक्टर नदबई

सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर